राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेर पथ, एल.के.सैनी, स्टेडियम, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं. 0141–2399335, 2399336 ई–मेल आई.डी. ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ 20( )( ) बाअवि/ Fit Facility & Fit Person/2016/37378 जयपुर, दिनांकः 11/3/19

विषयः– उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

भारत सरकार द्वारा लागू किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के तहत् 18 वर्ष से कम आयु के विधि से संघर्षरत बच्चों एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों में आवश्यक जांच एवं सुनवाई उपरान्त बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में क्रमशः किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई है, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत् प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्राप्त है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् अधिनियम में निर्धारित श्रेणी के बालक/बालिकाओं की अस्थाई रूप से देखरेख, संरक्षण और उपचार हेतु उपयुक्त व्यक्ति की सेवाएं लिये जाने संबंधी प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 2(28) के तहत् उपयुक्त व्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है–

"fit person" means any person, prepared to own the responsibility of a child, for a specific purpose, and such person is identified after inquiry made in this behalf and recognised as fit for the said purpose, by the Committee or, as the case may be, the Board, to receive and take care of the child;

''योग्य व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बालक की किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसे व्यक्ति की इस निमित्त जांच के पश्चात पहचान कर ली गई है और उसे उक्त प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा बालक को लेने और उसकी देखरेख करने के लिए 'योग्य' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

अधिनियम की धारा 8(i) एवं 18(1)(e) तथा धारा 30(iv) एवं 37(1)(d) के तहत किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच उपरान्त धारा 52 एवं नियम 28 के तहत् किसी बालक/बालिका की अस्थाई रूप से देखरेख, संरक्षण और उपचार हेतु आवश्यक जांच उपरान्त किसी व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती हैं।

Scanned by CamScanner

विभिन्न परिस्थितियों में बोर्ड या समिति द्वारा किसी व्यक्ति को बच्चे की देखरेख के लिए उपयुक्त माना जा सकता है, उदाहरणार्थः–

- बच्चे के जैविक माता–पिता नहीं होने अथवा उनके द्वारा बच्चे को परिवार में नहीं ले जाने की स्थिति में किसी अन्य रिश्तेदार अथवा निकट के व्यक्ति को अल्पकालीन अवधि के लिए उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई हैं।
- ऐसा व्यक्ति, जिसे बोर्ड या समिति द्वारा जांच लम्बित रहने के दौरान बच्चे की देखरेख के लिए उपयुक्त माना गया है।

किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा किसी व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

1. अधिनियम की धारा 52 (1) के तहत बोर्ड या समिति द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे एवं देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की देखभाल, संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थाई रूप से प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी।
2. बोर्ड या समिति द्वारा व्यक्तियों को उनकी साख, सम्मान, विशेषज्ञता, व्यावसायिक अर्हताएं, बच्चों के साथ व्यवहार/कार्य अनुभव तथा उनकी रूची के आधार पर व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी तथा अधिनियम के प्रयोजन हेतु उन्हें उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी।
3. बोर्ड या समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई, अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर उक्तानुसार व्यक्तियों के पैनल तैयार कर सकेगें।
4. बोर्ड या समिति द्वारा निम्नानुसार योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जा सकेगा–

    - बाल संरक्षण या अधिकारों पर कार्य करने वाला कोई स्वयंसेवी संगठन का प्रतिनिधि/विशेषज्ञ/सामाजिक कार्यकर्ता या कोई सेवा भावी जागरूक नागरिक।
    - कोई भी भारतीय नागरिक जो विगत 1 वर्ष से संबंधित जिले में आवासरत हो तथा जिसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 80 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान रखते हुए आयु सीमा की बाध्यता नहीं होगी।
    - पैनल में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा जायेगा, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी या किसी अनैतिक कार्य या बाल शोषण के कार्य या बाल श्रम में लिप्त या नैतिक चरित्रहीनता में संलग्न हो। इस संबंध में संबंधित पुलिस थाने से पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा।

Scanned by CamScanner

- ऐसे व्यक्ति का बच्चे की देखरेख एवं जरूरतों की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए।
- ऐसा व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- ऐसा व्यक्ति में बच्चे की देखरेख करने का अनुभव तथा अच्छी देखभाल प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए।
- उपयुक्त व्यक्ति के चयन में जाति, लिंग, धर्म, जातीय परिस्थितियां, विशेष योग्यजन होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा बच्चे का सर्वोत्तम हित ही प्रमुख होगा।

5. जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा भी उपरोक्त वर्णित योग्यता रखने वाले भावी उपयुक्त व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किये जाने उपरान्त उसे बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट) तथा स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी से साझा किया जायेगा। इस प्रयोजन इकाई द्वारा विभिन्न माध्यमों से भावी उपयुक्त व्यक्तियों को चिन्हित करने का कार्य संपादित किया जायेगा। इकाई से प्राप्त होने वाले भावी उपयुक्त व्यक्तियों के डाटाबेस में से भी बोर्ड या समिति आवश्यक जांच उपरान्त उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने सम्बधी कार्यवाही अमल में ला सकेगी।
6. बोर्ड या समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति से आवश्यक दस्तावेज (आयु संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि) की प्रतिलिपि प्राप्त की जायेगी।
7. बोर्ड या समिति द्वारा उक्त पैनल में से किसी व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी। यथासंभव मान्यता प्रदान करने से पूर्व बच्चे की सूचीबद्ध सहमति एवं बच्चे का भावी उपयुक्त व्यक्ति के साथ वार्तालाप/विचार–विमर्श आयोजित किया जा सकेगा।
8. बोर्ड या समिति द्वारा बच्चे या बच्चों की आवश्यकताओं एवं सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को साख का सत्यापन एवं पुलिस सत्यापन (जहां संभव हो) के पश्चात उपयुक्त व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकेगी। ऐसे व्यक्ति पर उक्त वर्णित बिन्दु संख्या 4 अंकित प्रावधानों का लागू होना अनिवार्य नहीं होगा।
9. बोर्ड या समिति द्वारा सहोदर भाई–बहन को एक ही उपयुक्त व्यक्ति (उन परिस्थितियों को छोडकर जहां भाई–बहन को साथ रखना उनके हित में नहीं हो) के साथ रखा जायेगा।
10. बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता/नियुक्ति के संबंध में लिखित में आदेश जारी किया जायेगा तथा आदेश की प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जायेगी।
11. बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता/नियुक्ति के संबंध में संबंधित व्यक्ति से उसकी अभिरूचि एवं सहमति प्राप्त की जायेगी।
12. बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा बच्चे की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति के परामर्श अनुसार बच्चे को उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रखे जाने हेतु अवधि निर्धारित करेगी, जिस दौरान बच्चा उपयुक्त व्यक्ति के पास रहेगा।

Scanned by CamScanner

13. विशेष परिस्थितियों को छोडकर किसी बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में नहीं रखा जायेगा। ऐसे मामले जहां बच्चे को और अधिक देखभाल की आवश्यकता है, वहां समिति बच्चे के पालन पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) में प्लेसमेंट अथवा वैकल्पिक पुनर्वास पर विचार कर सकती हैं।
14. ऐसे मामले जहां बोर्ड द्वारा किसी बच्चे को उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रखा हैं तथा बच्चे के प्लेसमेंट की अवधि 30 दिन (विशेष परिस्थितियों को छोडकर) से ज्यादा हो वहां बोर्ड या बाल न्यायालय बच्चे के पालन पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) में प्लेसमेंट अथवा वैकल्पिक पुनर्वास के संबंध में अग्रिम आदेशों के लिए मामले संबंधित बाल कल्याण समिति को भेज सकेगें।
15. बच्चे को फोस्टर केयर में दिये जाने के विकल्प पर विचार करते समय बाल कल्याण समिति संबंधित नियमों को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त व्यक्ति को पोषक माता/पिता (फोस्टर पेरेन्ट) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।
16. बोर्ड या समिति द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों की सूची कार्यालय में संधारण के पश्चात बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को भेजी जाएगी।
17. जहां बच्चे को दूरी तथा/अथवा विषम समय के कारण किसी बाल देखरेख संस्थान में नहीं भेजा जा सकता हैं, वहां ऐसे मामलों में बोर्ड या समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा बच्चे को उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रखा जा सकेगा।

उपयुक्त व्यक्ति की जिम्मेदारी–

1. बच्चे को लेने की क्षमता तथा उसके देखरेख की इच्छा व रूची हो।
2. बच्चे की देखभाल और संरक्षण की बुनियादी आवश्यकताओं/सेवाएं को उपलब्ध कराएगा, जिसमें बाल अनुकुल वातावरण अनुरूप माहौल, बच्चे के प्रति समान व्यवहार, स्नेह, देखभाल एवं शिक्षा भी सम्मिलित हैं।
3. उपयुक्त व्यक्ति द्वारा बच्चे को उसके प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान/जांच/विचारण के प्रयोजन तथा अपेक्षित कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। उपयुक्त व्यक्ति द्वारा बच्चें के हित में अभिभावक के स्वरूप समस्त आवश्यक कार्यवाही पूरी की जायेगी।
4. उपयुक्त व्यक्ति द्वारा बच्चे को समय–समय पर उसके प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जायेगा तथा वह बच्चे की निजता एवं प्रकरण की गोपनीयता को बनाए रखेगा।
5. किसी भी स्थिति में बच्चे को अमानवीय/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने देगें।
6. उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा निवास स्थान में परिवर्तन होने हैं, बच्चे के गंभीर रोग से बीमार होने, उसके गुम होने/दुर्व्यवहार होने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल संबंधित बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को लिखित में सूचित करेंगे।

Scanned by CamScanner

7. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के पालना के अतिरिक्त राज्य सरकार तथा बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/दिशा–निर्देश की पालना करेंगे।
8. उपयुक्त व्यक्ति बच्चे के जैविक माता/पिता से मिलने के संबंध में संबंधित बोर्ड, समिति या बाल न्यायालय द्वारा जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे।
9. यदि उपयुक्त व्यक्ति ऐसे बच्चे को विधिक रूप से दत्तक ग्रहण/फोस्टर केयर में लेना चाहते हैं तो वह संबंधित बाल कल्याण समिति को अपनी अभिरूचि व्यक्त कर सकते हैं।

उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) को हटाये जाने की प्रक्रिया–

1. उपयुक्त व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई जा रही देखभाल एवं संरक्षण के स्तर से अथवा किसी अन्य कारण से असंतुष्ट होने पर किसी भी समय अधिनियम की धारा 52 (2) के तहत लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए बोर्ड या समिति द्वारा लिखित आदेश में उल्लेखित दिनांक से उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता निरस्त की जा सकेगी।
2. बोर्ड या समिति द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता निरस्त की जा सकेगी–

    - बच्चे के उपयुक्त व्यक्ति की सेवाएं से असंतुष्ट होने की स्थिति में।
    - यदि उपयुक्त व्यक्ति किसी बाल अपराध में लिप्त होने की सूचना मिलने पर या लिप्त पाये जाने की स्थिति में।
    - उपयुक्त व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा कारित करने की स्थिति में।
    - उपयुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल रहने की स्थिति में।

3. बोर्ड या समिति द्वारा जिन उपयुक्त व्यक्तियों की मान्यता निरस्त की गई है, उनकी सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को भेजी जाएगी।
4. ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गए बच्चे को बोर्ड या समिति द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति अथवा उपयुक्त सुविधा अथवा किसी बाल देखरेख संस्थान में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा–

1. बोर्ड या समिति द्वारा जिन व्यक्तियों को उपयुक्त व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है उन्हें इस प्रयोजन राज्य सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।

Scanned by CamScanner

2. किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं बाल न्यायालय द्वारा इन दिशा–निर्देशों का प्रभावी कियान्वयन एवं नियुक्त उपयुक्त व्यक्तियों का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों के क्षमतावर्धन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगें।

(निष्काम दिवाकर)
निदेशक

क्रमांक एफ 20( )( ) बाअवि/ Fit Facility & Fit Person/2016/3737Q-618 जयपुर, दिनांक: 11/3/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज. उच्च न्यायालय, राज. जयपुर।
5. निजि सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज. जयपुर।
6. समस्त पीठासीन अधिकारी, बाल न्यायालय (चिल्ड्रन कोर्ट).....।
7. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई.....।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त एवं प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई.....।
9. समस्त प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड.....।
10. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति.....।
11. रजिस्ट्रार, बाल संदर्भ केन्द्र, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. उपनिदेशक/लेखाधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, राजस्थान।
14. समस्त उप/सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई..... .....।
15. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/बालिका गृह/राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी/शिशु गृह.....।
16. समस्त अधीक्षक/सचिव/प्रभारी, गैर राजकीय बाल गृह/बालिका गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी.....।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

Scanned by CamScanner